पत्रांक 3/एम– 77/2012 सा० 1836

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह गंगवार,

सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 01.02.2013

विषय :– वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करने हेतु विशेष चारित्री अभिलिखित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय परिपत्र सं० 10570 दिनांक 24.10.07 द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया था कि यदि किसी कारणवश देय प्रोन्नति की तिथि/वर्ष से पिछले पाँच वर्षों में से मात्र तीन वर्ष की ही गोपनीय अभ्युक्तियाँ उपलब्ध हो तो उक्त पाँच वर्षों से भी पूर्व के संलग्न वर्षों की उपलब्ध गोपनीय अभ्युक्तियों में से दो वर्षों की अभ्युक्तियों का अवलोकन कर उनके आधार पर प्रोन्नति के मामले पर विचार किया जाय।

2. परन्तु कई मामलों मे पाया गया है कि पिछले पाँच वर्षों में से तीन वर्षों की भी गोपनीय अभ्युक्तियाँ नहीं रहती है। इसके फलस्वरूप प्रोन्नति प्रभावित रह जाती है। अतः विभागीय परिपत्र सं० 2108 दिनांक 31.5.2010 द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया कि जिस वर्ष की गोपनीय अभ्युक्तियाँ अभिलेखित नहीं हो पायी हों और उन्हें अभिलेखित कराया जाना संभव नहीं रह गया हो, वैसे वर्ष के लिए संबंधित सरकारी सेवक के वर्त्तमान पदस्थापन–स्थान के प्रधान सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार द्वारा संबंधित सरकारी सेवक के कार्य–कौशल, चरित्र, आचरण आदि का मूल्यांकन करते हुए विशेष चारित्री प्रमाणपत्र दिया जाय। ऐसा प्रमाणपत्र संबंधित सरकारी सेवक के पूरे सेवाकाल में एक ही बार दिया जायेगा और इसे अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का पर्याय माना जायेगा तथा उसके आधार पर संबंधित सरकारी सेवक की प्रोन्नति हेतु योग्यता का आकलन किया जा सकेगा। प्रमाणपत्र संबंधी यह विकल्प वर्ष 2009–10 तक की अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के मामले में ही लागू किया गया तथा यह निदेश दिया गया कि ऐसा विशेष चारित्री प्रमाण–पत्र देते हुए संबंधित प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में संबंधित सरकारी सेवक की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन ससमय एवं नियमित रूप से हो।

7. कृपया उपर्युक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों / कर्मचारियों को अवगत कराया जाय एवं तदनुसार प्रस्ताव विभागीय प्रोन्नति समितियों के समक्ष विचारार्थ रखा जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 254/स्था० दिनांक 19-2-13

प्रतिलिपि — आई०टी० प्रबंधक, मुंगेर को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि — सभी अंचल अधिकारी / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी मु० उप समा० / सभी अनुमंडल पदाधिकारी मुंगेर जिला / उप विकास आयुक्त, मुंगेर / अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

स्थापना उप समाहर्त्ता
मुंगेर
19/2/13